जनसत्ता

किसान की सुध

खेती-किसानी का सवाल पिछले काफी समय से देश की मुख्य समस्याओं में शुमार है। मगर खेती के लगातार घाटे का सौदा होते जाने और किसानों के निजी जीवन में खड़ी चुनौतियों का कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका है। अलबत्ता अमूमन सभी सरकारों ने हर मौके पर आश्वासनों और वादों की झड़ी जरूर लगाई, लेकिन किसानों की समस्याएं गहराती ही गईं। फसलों के समर्थन मूल्य के बरक्स खुले बाजार में उनकी कीमतों ने व्यापारियों का लाभ तो सुनिश्चित किया, लेकिन किसानों के हक में कुछ खास नहीं आया। यही वजह है कि किसानों के सामने कई बार गुजारे तक का सवाल एक बड़ी चुनौती बन गया। ऐसे में उनके लिए जो न्यूनतम मदद हो सकती थी, उस पर भी शायद कभी विचार नहीं किया गया। बल्कि खेती-किसानी को बढ़ावा और संरक्षण देने का दावा करने वाली सरकारों की प्राथमिकता में भी इस समस्या को जगह नहीं मिल सकी। नतीजतन, किसानों की मुश्किलें दिनोंदिन बढ़ती गईं। कृषि ऋण, फसलों की बर्बादी या खेती में घाटे से उपजे तनाव और दबाव की वजह से लाखों किसानों ने आत्महत्या तक कर ली।

सवाल है कि देश की अर्थव्यवस्था और आम जीवन को गति देने वाले कृषि क्षेत्र के जीवनदाताओं के प्रति सरकारों की अनदेखी की आखिर क्या वजह रही! खेती, फसलें, समर्थन मूल्य, उनकी खरीद आदि से अलग क्या निजी स्तर पर किसानों की मदद के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं बनाई जा सकती थी, जो वृद्धावस्था या संकट के दौरान उनका सहारा साबित होती? इस लिहाज से मौजूदा केंद्र सरकार ने जिस किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है, वह अपने मूल स्वरूप में अमल में आ सकी तो किसानों को बड़ी राहत मिल सकेगी। यों इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन गुरुवार को रांची में कई अन्य योजनाओं के साथ-साथ किसान मानधन योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को बुढ़ापे में मुसीबत में न जीना पड़े, यह पेंशन योजना उसकी गारंटी देगी। गौरतलब है कि किसानों को सामाजिक सुरक्षा का कवच देने वाली इस योजना के तहत साठ साल की उम्र के बाद लघु और सीमांत किसानों को तीन हजार रुपए पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के मुताबिक हर महीने एक निर्धारित रकम जमा करानी होगी। हालांकि कुछ खास सुविधाप्राप्त वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

यह किसी से छिपा नहीं है कि साठ साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से किस अवस्था में रहता है और बहुत सारे लोगों के लिए परिवार पर निर्भरता कैसी स्थिति पैदा करती है। ऐसे में अगर हर महीने उन्हें एक निर्धारित रकम मिलती है, तो यह सेहत संबंधी और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके मान-सम्मान को बनाए रखने में भी मददगार हो सकती है। निश्चित रूप से लघु और सीमांत किसानों के निजी जीवन को खुशहाल और सम्मानजनक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का यह एक बड़ा कदम है। पर कर्ज सहित खेती की आम मुश्किलों के अलावा फसलों के मारे जाने या उनकी न्यूनतम लागत भी वसूल न हो पाने के बाद किसानों के सामने कैसी समस्या खड़ी होती है, यह एक जगजाहिर सवाल रहा है। इसलिए किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच मुहैया कराने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के सामने खड़ी अन्य बड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए भी मजबूत इच्छाशक्ति के साथ ठोस पहलकदमी की जरूरत है।

सम्मान और उपहार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते आए हैं। इस बार अपनी ही पार्टी के एक नेता को फरसे से गर्दन काटने की धमकी देने की वजह से उनकी आलोचना हो रही है। हुआ यों कि खट्टर जन आशीर्वाद यात्रा करते हुए हिसार पहुंचे थे। उस रैली में किसी समर्थक ने उन्हें उपहार में फरसा भेंट किया। तभी दूसरे कार्यकर्ता ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश की। इस पर खट्टर ने उसे धमकाते हुए कहा कि फरसे से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उसके बाद खट्टर की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगा। हालांकि खट्टर ने कहा कि जिस सोने-चांदी के उपहार की परंपरा उन्होंने बड़ी मुश्किल से खत्म की थी, उसे फिर से जिंदा करने का कोई प्रयास करेगा तो क्रोध स्वाभाविक है। धमकी वाला यह वीडियो वायरल करने के पीछे उन्होंने कांग्रेस के नेताओं का हाथ बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के नेता उन्हें इस तरह बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक खट्टर की मंशा साफ रही हो या उन्होंने मजाहिया अंदाज में वह धमकी दी हो, पर यह सवाल तो बना ही रहेगा कि सार्वजनिक मंचों से कुछ बोलते हुए वे सावधानी क्यों नहीं बरतते!

हालांकि खट्टर की इस धमकी को भले असंयमित व्यवहार के तौर पर देखा जा रहा हो, पर उन्होंने राजनीति में उपहारों के लेन-देन की जिस संस्कृति की ओर इशारा किया है, उसे भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। छिपी बात नहीं है कि राजनीति में बड़े पदों का निर्वाह करने वाले नेताओं को पार्टी के समर्थक, छोटे नेता, व्यापारी, सामाजिक संस्थाएं आदि सम्मानित करने के लिए या फिर किसी अवसर पर महंगे उपहार देते हैं। उनमें सोने-चांदी से बनी वस्तुएं, गाड़ी वगैरह भी शामिल होती हैं। यह प्रवृत्ति देशव्यापी और हर पार्टी में है। इस प्रवृत्ति पर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं। कई बड़े नेता उपहार में मिली अपनी वस्तुओं की नीलामी करके या उन्हें बेच कर उनसे मिली धन राशि को किसी सामाजिक कार्य में लगाते रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री ने भी ऐसा किया था। मगर महंगे उपहार लेने से गुरेज करते किसी नेता को कम ही देखा गया है। ऐसे में अगर खट्टर ने सोने-चांदी से बने उपहार लेने की परंपरा को व्यक्तिगत तौर पर रोकने का प्रयास किया है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। हालांकि यह देखने की बात है कि वास्तव में वे उसे व्यावहारिक तौर पर कितना अपनाते हैं।

पार्टियों के अध्यक्ष अपने नेताओं को सादगीपूर्ण जीवन जीने, आम लोगों के सामने अच्छा उदाहरण पेश करने की नसीहत अनेक मौकों पर देते देखे गए हैं, पर हकीकत यही है कि राजनेता आडंबरपूर्ण जीवन जीने की इच्छा का त्याग नहीं कर पाते। कई नेता अपने जन्मदिन या दूसरे मौकों पर महंगे उपहार इकट्ठा करने में गर्व महसूस करते हैं। सामान्य उपहार मिलने पर वे नाक-भौं सिकोड़ते भी देखे जाते हैं। फिर महंगे उपहार देकर बड़े नेताओं को रिझाने और उनसे अपने स्वार्थ साधने की परिपाटी भी राजनीति में बहुत पुरानी है। कई नेता किसी काम के बदले महंगे उपहार की मांग खुद भी करते हैं। खट्टर को जिस नेता ने चांदी का मुकुट पहना कर सम्मानित करने का प्रयास किया, बताते हैं कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट पाना चाहता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश तभी लगेगा, जब बड़े नेता उपहारों का मोह खुद छोड़ दें।

कल्पमेधा

बिना प्रशंसा किए किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है और बिना झूठ बोले किसी की प्रशंसा नहीं की जा सकती।
-डॉ जानसन

कब बंद होगी जल की बर्बादी

प्रदीप श्रीवास्तव

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हाल के आकलन के अनुसार देश में 351 नदियां प्रदूषित हैं। इनमें भी 45 प्रमुख नदियां बुरी तरह से प्रदूषित हैं, जो आने वाले सालों में नालों में तब्दील हो जाएंगी। यह तब है जब देश में पानी का कारोबार जोरों पर है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण देश में पानी की भीषण किल्लत खड़ी हो रही है लेकिन सरकार अभी भी पानी के कारोबार पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। इसी का नजीजा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल का दोहन करने वाला देश बन गया है।

मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है इसलिए हमारा नदियों से गहरा रिश्ता है। दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन शैली और सभ्यता दूरगामी परिणामों की जगह अल्पकालिक आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान देती है, जिसका परिणाम है कि तालाब, झील, पोखर, नहर, नदियां आदि सभी प्रकार के जलस्रोत तेजी से सूख रहे हैं। पानी देने वाले हिमालय क्षेत्र में भी जल संकट पैदा होने लगा है। शिमला, मसूरी व नैनीताल जैसी जगहों पर पर्यटकों को जाने से रोकना पड़ रहा है। पानी को अंधाधुंध तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। इसमें न सिर्फ नागरिकों की गलती है, बल्कि हमारे नीति निर्माता भी आने वाले जल संकट की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं जबकि जीवन शैली में थोड़ा-सा बदलाव भी जल संकट को काफी कम कर सकता है। हालात को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जल संचयन को लेकर काम भी शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने जल शक्ति मिशन के तहत जल संचयन को लेकर कई अल्पकालिक व दूरगामी योजनाएं तैयार की हैं। इनमें वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर तालाबों के अतिक्रमण को दूर करने तक की योजनाएं हैं। लेकिन ये योजनाएं भी तभी सफल हो सकती हैं, जब जनता को जागरूक करके इनमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

यहां गौरतलब है कि हमारे देश में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5,177 घनमीटर थी, जो 2011 में घट कर कर मात्र 1,545 घन मीटर रह गई है। जानकारों की मानें तो आने वाले समय में जल की उपलब्धता बहुत तेजी से कम होनी है। सरकार का भी आकलन है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर 1,341 घनमीटर और 2050 तक 1,000 घनमीटर के आसपास हो जाएगी। इसके बावजूद सरकारों का ध्यान हर घर में नल लगाकर पानी को बर्बाद करने पर है।

ये हालात तब पैदा हुए हैं जब नदियों को हमारे समाज में मां का दर्जा दिया गया है। देश में दस हजार से ज्यादा नदियां हैं। तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं आदि प्राकृतिक जल स्रोतों की संख्या लाखों में है। देश में हर साल करीब चार हजार अरब घनमीटर तक वर्षा होती है लेकिन वर्षा जल संचयन की संस्कृति हमने विकसित नहीं की है नतीजतन, 85 प्रतिशत से अधिक जल व्यर्थ बह जाता है। पानी की उपलब्धता कम होने की सबसे बड़ी वजह विकास के नाम पर नदी, तालाबों, कुओं आदि जलस्रोतों को पाट कर अधिकांश हिस्सों पर रिहायशी कॉलोनियां बना देना है। शहरों में जिस तरह से तालाब और झील गायब हो रहे हैं, उससे भी संकट बढ़ा है। पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है जबकि दूसरी ओर हम पानी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। चेन्नई और मुंबई जैसे समुद्र किनारे बसे शहरों की हालत देखिए। एक ही बारिश में वे जलमग्न हो जाते हैं क्योंकि हर प्रकार के जलस्रोतों को पाट दिया गया है, जिससे न पानी रिचार्ज होता है और ही न बह कर समुद्र में जा पाता है।

सूखते तालाबों और नदियों के कारण जल संकट बढ़ा तो बोरवेल, हैंडपंप, नल आदि से भूजल का दोहन शुरू हो गया। इससे देश में औसतन हर साल भूजल स्तर 0.3 मीटर नीचे जा रहा है। यमुना किनारे बसे आगरा की स्थिति यह है कि यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है। आगरा में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वाटर रिचार्ज व हार्वेस्टिंग पर कार्य कर रही संस्था सेंटर फॉर अरबन एवं रीजनल एक्सेलेंसी (क्योर) ने सरकार के साथ मिलकर कुछ प्रयोग किए हैं। कालिंदी विहार मुहल्ला यमुना नदी से करीब एक किलोमीटर के दायरे में है लेकिन यहां दो सौ फीट पर भूजल है। वह पानी भी पीने योग्य नहीं है। एक सरकारी स्कूल में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया गया, जिससे स्कूल के 200 बच्चों, मिड डे मील व दूसरे सभी कार्यों के लिए साल भर तक पानी की जरूरत पूरी हो जाती है। यहां एक सीजन में करीब 72 हजार लीटर पानी संचयन किया जाता है। हर सीजन में पानी को साफ करने और ज्यादा पीने लायक बनाने के लिए 1.5 किलोग्राम फिटकरी, 3 किलोग्राम चीनी व दो किलोग्राम नमक मिलाया जाता है। करीब पांच सालों से स्कूल ने बाहर से पानी नहीं लिया। यह बहुत ही कारगर है, लेकिन सरकारी व्यवस्था इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है।

वाटर रिचार्ज और वाटर हारवेस्टिंग जैसी पद्धतियों पर भी समाज व सरकार का कम ध्यान है, जिससे हम पानी का उपयोग तो कर लेते हैं लेकिन उसे वापस पृथ्वी को देते नहीं हैं। हालत यह है कि घरेलू उपयोग में भी

हम करीब 80 फीसद पानी की बर्बादी कर देते हैं, जबकि थोड़ी-सी जानकारी व व्यवहार संबंधी आदतों में बदलाव करके हम बर्बाद होने वाले पानी को बचा सकते हैं। पानी की बर्बादी के कारण ही भारत जल तनाव (वाटर स्ट्रेस्ड) वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हाल के आकलन के अनुसार देश में 351 नदियां प्रदूषित हैं। इनमें भी 45 प्रमुख नदियां बुरी तरह से प्रदूषित हैं, जो आने वाले सालों में नालों में तब्दील हो जाएंगी। यह तब है जब देश में पानी का कारोबार जोरों पर है। लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण देश में पानी की भीषण किल्लत खड़ी हो रही है लेकिन सरकार अभी भी पानी के कारोबार पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। इसी का नजीजा है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक भूजल का दोहन करने वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर अमेरिका है।

देश में करीब छह हजार कंपनियां ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्स से पंजीकृत हैं जो पानी के कारोबार से जुड़ी हैं। ये कंपनियां पानी तो निकालती हैं लेकिन उसकी भरपाई के लिए कोई कार्य नहीं करतीं। आंकड़ों के अनुसार एक कंपनी हर घंटे औसतन 5 हजार लीटर से 20 हजार लीटर तक पानी निकाल लेती है। पानी निकालने व साफ करने की पूरी प्रक्रिया में करीब 35 फीसद पानी बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन फिर भी यह उद्योग हर साल 15 फीसदी की दर से बढ़ रहा है।

आरओ का पानी भले ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो लेकिन पानी को साफ करने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही खराब है। यह पानी तो साफ करती है, लेकिन करीब 70 फीसदी पानी बर्बाद भी करती है, जिसका पीने के अलावा दूसरे कामों में प्रयोग कर सकते हैं। मोटे अनुमान के अनुसार एक आरओ एक लीटर पानी साफ करने की प्रक्रिया में तीन लीटर पानी बर्बाद करता है। पानी की बर्बादी के कारण ही पिछले आठ सालों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 70 प्रतिशत की कमी आ चुकी है। केंद्रीय जलशक्ति मिशन के अनुसार अकेले दिल्ली में 1.1 बिलियन करोड़ लीटर पानी सीवेज बन जाता है। हालत यह है कि 2022 तक दिल्ली में पीने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अधिकतर इलाके डार्क जोन में तेजी से तब्दील हो रहे हैं।

देश में घरेलू उपयोग के लिए केवल छह प्रतिशत और उद्योगों के लिए पांच प्रतिशत पानी की जरूरत होती है, जबकि 89 प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि द्वारा किया जाता है। हम कृषि में पानी की खपत को रातोंरात तो कम नहीं कर सकते लेकिन बढ़ते जल संकट को देखते हुए कुछ तात्कालिक उपाय करने चाहिए। जैसे, कृषि क्षेत्र में ऐसी फसलें उगाई जाएं जो पानी कम सोखती हैं। इसके अलावा ऐसी फसलों पर अनुसंधान और नए बीज भी तैयार किए जा सकते हैं, जो भविष्य में कम पानी में अधिक पैदावार दे सकती हों। जल संकट से निपटने का सबसे कारगर तरीका वर्षा जल का संचयन करना है। वर्षा जल न सिर्फ आरओ के पानी से ज्यादा लाभदायक है, बल्कि मुफ्त भी है। देश की बड़ी कंपनियां अपने भवनों में वर्षा जल संचयन के लिए रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाने लगी हैं, लेकिन अभी भी व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संग्रहण) और रेन वाटर रिचार्जिंग (वर्षा जल पुनर्भरण) ऐसी प्रणाली है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं के बराबर होती है। साथ ही हम अपने जल स्रोतों का दोहन भी कम कर देते हैं।

निज भाषा की जगह

अतुल चतुर्वेदी

दुनिया मेरे आगे

आज की युवा पीढ़ी को जब भाषिक थिगड़े लगा कर बोलते हुए देखता हूं तो कई बार मन बहुत दुखी होता है। जानकारी के क्षेत्र में भले ही वे पुरानी पीढ़ी से आगे हों, लेकिन भाषागत रूप से उनके पास न केवल शब्दों की कमी है, बल्कि वैचारिकता का भी भारी अभाव है। कुछ साल पहले प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के एक शिविर को व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से संबोधित करने का कुछ दिन तक अवसर मिला। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि उन मेधावी विद्यार्थियों से जब साफ-सफाई के लिए एक पत्र प्रशासन के नाम लिखने को कहा गया तो उनके लिखे में हिज्जे और वाक्य विन्यास की काफी गलतियां थीं। जब बातचीत की गई तो पता चला कि उन्होंने पाठ्यक्रम के अलावा बरसों से कोई अन्य पुस्तक नहीं पढ़ी है, जिसमें साहित्य की किसी कृति को पढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं। एक समर्थ भाषा का निरंतर ज्ञान और अध्ययन न केवल आपको संवेदनशील बनाता है, बल्कि अनुभव को व्यक्त करने लायक उपयुक्त शब्दावली भी देता है। उन शब्दों के माध्यम से कल्पना शक्ति को पंख लगते हैं।

दरअसल, भाषा न केवल संस्कृति का सेतु है, बल्कि हमारी परंपराओं और समृद्ध विरासत से भी हमें जोड़ती है। यही कारण है कि आज हिंदी की अशुद्धियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वैवाहिक महंगे कार्ड में भाषिक त्रुटियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि हमारा अवसरवादी मध्य वर्ग अंग्रेजी में कार्ड छपवा कर खुद को धन्य समझता है। आप संसार की जितनी भी समर्थ भाषाएं सीखें, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन यह अपनी मातृभाषा की उपेक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हिंदी के चैनलों पर भाषिक अशुद्धि से लबरेज पट्टियां चलती रहती हैं। महाविद्यालय, विद्यालय, कार्यालय, आयोजन जैसे शब्द तो लगभग गायब हो गए हैं। वहां 'इवेंट', 'फेयर' और 'मेगाफेयर' जैसे उपभोक्तावादी शब्दों ने जड़ें जमा ली हैं। नतीजतन, युवा पीढ़ी में भारतीय समाज की विसंगतियों और समस्याओं को समझने की सामर्थ्य नहीं पैदा हो रही है। वे अंग्रेजीदां नजरिए से देश को देख रहे हैं। यही कारण है कि मूल्यहीनता सर्वत्र हावी है। हिंदी को बाजार ने तो अपना लिया है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थों और माल बेचने की दृष्टि से। हिंदी पेट की भाषा आज तक नहीं बन सकी। हालांकि बेहतर और समर्थ हिंदी बोलने और लिखने वालों की आज भी भारी मांग है।

कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदी का बीच-बीच में विरोध भी किया जाता रहा है, लेकिन आज वैश्विक रूप से हिंदी का परचम फहरा रहा है। एक सरल और सहज वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी आज अत्यंत समृद्ध भाषा है। बस जरूरत है तो मात्र स्वाभिमान और चेतना के साथ उसके प्रयोग, व्यवहार और उन्नयन के लिए सार्थक प्रयासों की। आज हिंदी के लगभग पचास करोड़ इंटरनेट प्रयोक्ता विश्व भर में हैं। हिंदी के लाखों ब्लॉग और सैकड़ों पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जिन पर प्रतिदिन लाखों हिट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और याहू जैसी कंपनियों को हिंदी में सॉफ्टवेयर बाजार की मांग को देखते हुए उतारने पड़े हैं।

जरूरत है तो विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों पर हिंदी के तंग हाथ को खोलने की। आज हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और गुणाकर मुले जैसे लेखकों की आवश्यकता है, जिन्होंने विज्ञान और साहित्येतर विषयों के द्वार भी हिंदी के लिए खोले थे। एक अनुमान के अनुसार हिंदी के पास लगभग पच्चीस लाख शब्दों की विराट संपदा है, जिससे वह अपनी प्राणवायु पाती है। विश्व के छह सौ विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तब हिंदी को लेकर हमारे तथाकथित नव धनाढ्य वर्ग में कैसा संकोच विद्यमान है, यह शोचनीय है?

आज अनुवाद की जटिल हिंदी ने ही हिंदी के प्रचार और प्रसार के अभियान को रोका है। विज्ञान में विभवांतर, परासरण दाब, विवर्तन और व्यतिकरण जैसे भारी-भरकम शब्द हिंदी को दुरूह बना रहे हैं। अगर उनके साथ-साथ पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में साथ में प्रचलित अंग्रेजी शब्द भी दे दिए जाएं या इन हिंदी अनूदित शब्दों का एक उच्च स्तरीय समिति सरलीकरण कर सके, तो यह हिंदी के प्रचार-प्रसार अभियान पर महती कृपा होगी। हिंदी को हम व्यवहार की भाषा बनाएं, जटिल और किताबी भाषा नहीं। उसे अपनी बोलियों से लड़ाएं नहीं, बल्कि उनके शब्दों को नई ऊर्जा देकर उसे मूल भाषा से जोड़ें तो हमारी बोलियां भी बची रहेंगी। हिंदी को उसकी बोलियों से विरत करने, उसे संकुचित करने और बोलियों को भाषा बनाने की यह महत्त्वाकांक्षा आखिरकार हिंदी का ही नुकसान करेगी। हिंदी की यह चुनौती घरेलू स्तर पर उन अड़तीस बोलियों से भी होगी, जो भाषिक दर्जा प्राप्त करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची का दरवाजा खटखटा रही हैं। इससे न केवल हिंदी का दायरा संकुचित होगा, बल्कि उसका फायदा अंग्रेजी को मिलेगा। हमारे पढ़े-लिखे मध्यम वर्ग को हिंदी को लेकर अपने दोहरे आचरण को छोड़ना पड़ेगा और उसे एक समर्थ, जीवंत संपर्क भाषा के रूप में आत्मसात करना पड़ेगा।

साइबर ठगी

हमारे देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग हर रोज देश के किसी न किसी कोने में लोगों के साइबर ठगी या चोरी का शिकार होने के समाचार पढ़ने-सुनने को मिलते हैं। यहां तक कि साइबर ठग देश की जानी-मानी हस्तियों को भी बेखौफ होकर अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ समय पहले पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी, जो सांसद भी हैं, के साइबर ठगी की शिकार होने की खबर आई थी। साइबर चोरों ने उनके खाते में सेंध लगाकर लगभग तेईस लाख की राशि चुरा ली, हालांकि बाद में पुलिस उन मुजरिमों तक पहुंच गई। पुलिस और साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चुस्ती दिखाई, क्योंकि यह वीवीआइपी से जुड़ा मामला था। पुलिस और साइबर क्राइम सेल को इस मामले में की गई कार्रवाई की तरह दूसरे और आम लोगों के साथ हुए हर छोटे-बड़े साइबर अपराध की घटनाओं में भी चुस्ती दिखानी चाहिए ताकि देश में बढ़ती साइबर ठगी पर नकेल कसी जा सके।

हैरानी की बात तो यह है कि पढ़े-लिखे लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं जबकि उन्हें तो देश में बढ़ती साइबर ठगी रोकना और इसके प्रति अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। साइबर ठग लोगों को लालच या पैसे दोगुने करने का झांसा देकर उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांग कर जालसाजी करने की कोशिश करते हैं। कुछ ठग तो लोगों को फोन करके उनका बैंक खाता या एटीएम कार्ड बंद होने की बातों में उलझा कर और खुद को बैंक अधिकारी बताकर खाते, एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी पूछ लेते हैं। जो लोग इनके झांसे में आकर यह जानकारी दे देते हैं, वे ठगी का शिकार हो जाते हैं जबकि कोई भी बैंक फोन पर किसी के खाते या कार्ड की जानकारी पाने के लिए फोन नहीं करता।

साइबर ठगों का शिकार होने से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को भी करना पड़ेगा। इसका सभी को खयाल रखना चाहिए कि अपना क्रेडिट, डेबिड कार्ड, इनके सीवीवी और ओटीपी किसी को भी न दें। अगर किसी धोखाधड़ी की शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में कोई करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि साइबर चोरों को संभलने का मौका न मिले। बैंक भी अपनी कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाएं, खासतौर पर रकम के ऑनलाइन लेन-देन के लिए।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

अपनी भाषा

हम हर वर्ष धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते हैं लेकिन यह महज औपचरिकता बन कर रह गया है। इस अवसर पर हम पूरे दिन हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और लोगों को हिंदी अपनाने के उपदेश देते रहते हैं लेकिन अगली सुबह हमारी शुरुआत अंग्रेजी से होने लगती है। बच्चों से लेकर बड़े तक अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने में गर्व समझते हैं और हिंदी को एक हेय व पिछड़ी भाषा के तौर पर देखा जाता है। कैसी विडंबना है कि जिसमें कभी हमारी संस्कृति-सभ्यता की झलक दिखती थी वह आज महज औपचारिक भाषा है।

अफसोस की बात है कि आजादी के सात दशक बाद भी हिंदी को देश में केवल राजभाषा का दर्जा प्राप्त है जबकि हमारी संस्कृति-सभ्यता को संजो कर रखने के लिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

● *मनकेश्वर महाराज 'भट्ट', मधेपुरा, बिहार*

सुरक्षा सर्वोपरि

लोकतांत्रिक देशों की सरकारें अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए प्रगति संबंधी आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती हैं। बहरहाल, अन्य मामलों में तो इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब ऐसे आंकड़े रक्षा संबंधी तैयारियों के होते हैं तो इसमें सावधानी बेहद जरूरी है। एक समय था जब ऐसे गुलाबी आंकड़ों से शत्रु देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में मदद मिलती थी लेकिन वह वक्त कभी का बीत चुका है। आज सभी देश एक-दूसरे की रक्षा शक्ति और जरूरतों को भली-भांति जानते हैं। नतीजतन, अब अपनी जनता को तो बहकाया जा सकता है पर दुश्मनों को कतई नहीं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। लोकतांत्रिक देशों की चुनी हुई किसी भी सरकार में गपोड़शंखों की संख्या अधिक होती है। ये गाल बजाना तो जानते हैं पर इन्हें वस्तुस्थिति का कोई ज्ञान नहीं होता। सभी तरह की सूचनाओं के लिए ये अपनी नौकरशाही पर निर्भर रहते हैं।

नौकरशाही में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त अधिकारी यदि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन देश के प्रति निष्ठा रखते हुए ईमानदारी से करते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं लेकिन अगर वे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में यकीन करते हैं तो अक्सर वे अपनी उपलब्धियां नेताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। यह स्थिति भयावह हो सकती है और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। जरूरत इस बात की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी प्रमुख लोग ऐसे अधिकारियों से सावधान रहें और उनकी उपलब्धियों का समय-समय पर आकलन करते रहें।

● *सुभाष चंद्र लखेड़ा, द्वारका, नई दिल्ली*

अधिनियम का उपहास

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू होते ही इसके उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई राशि से जहां आम वाहन चालकों में खौफ की स्थिति बनी हुई है वहीं कानून का पालन कराने वाले और इसके रक्षक खुद इन नियमों को न मान कर न केवल इस अधिनियम का बल्कि आम वाहन चालकों का भी उपहास उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। रोज ही अनेक समाचार चैनलों पर ये कानून के रखवाले अनेक नियमों को बेशर्मी से तार-तार करते नजर आ रहे हैं क्योंकि कानून तो इनकी मुट्ठी में है ना! होना तो चाहिए कि ये स्वयं भी कानून का पालन करते दिखाई देकर एक आदर्श मिसाल कायम करते। आम नागरिक से जरा चूक होने पर ये उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, सभी को पता है। नए मोटर वाहन कानून में आम नागरिकों को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देने का कुछ न कुछ प्रावधान होना ही चाहिए था ताकि कानून पालन में दोनों के बीच अंतर स्थापित न हो सके।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com